कृषि विभाग
बिहार सरकार

अधिसूचना

संचिका सं०:– उ०को०/भा०स०प० (जैव उर्व०)–01/10– 708 दिनांक:– 5–6–2018

कृषि एवं सहकारिता विभाग, कृषि मंत्रालय, भारत सरकार के पत्रांक 9–16/2006–Organic Farming (Vol-I) दिनांक 08.04.2010 के द्वारा उर्वरक नियंत्रण आदेश–1985 में निहित कार्बनिक खाद के अतिरिक्त वर्षों से मिट्टी की उर्वरा शक्ति बढ़ाने के लिए उपयोग किए जा रहे अन्य पारंपरिक कार्बनिक उत्पाद यथा ग्रामीण/शहरी कम्पोस्ट गोबर की खाद, नीम की खल्ली, गौमुत्र, बायो पेस्टीसाइड आदि को नियंत्रित करने के लिए राज्य सरकार को दिशा–निर्देश तैयार करने की सलाह दी गई है। उल्लेखनीय है कि इसके अतिरिक्त कई प्रकार के उत्पाद मृदा की उर्वरा शक्ति बढ़ाने/कीटव्याधि नियंत्रण के नाम पर बेचे जा रहे हैं जिसे मुख्यतया दो भागों में विभाजित किया जा सकता है–

(i) पारंपरिक उत्पाद जैसे नीम की खल्ली, गौमुत्र, अपशिष्ट इत्यादि।

(ii) गुण वर्धित जैव/कार्बनिक उत्पाद या emerging bio-products, bio-based adhesive, bio-chemicals, bio pestiside, zymes seaweeds etc.

इस संबंध में विभाग के स्तर से अधिसूचना सं0– उ०को०/भा०स०प०(जै०उर्व०)–01/11–494 (उ0को0) दिनांक 05.05.2011 निर्गत किया गया है। पुनःविभाग के स्तर से अधिसूचना संख्या– उ०को०/भा०स०प०(जै०उर्व०)–01/10–316 (उ0को0) दिनांक 13.04.2017 को निर्गत किया गया था।

राज्य में जैविक कोरिडोर के निर्माण के बाद गुणवतापूर्ण जैविक उत्पाद की आवश्यकता महसुस की गई। अतः कृषि निदेशक, बिहार, पटना के अध्यक्षता में दिनांक 05.04.2018 को आहूत बैठक में प्राप्त अनुशंसा के आलोक में उक्त अधिसूचना को संशोधित किया जा रहा है।

ऐसे कार्बनिक तथा अन्य उत्पादों जिनका उपयोग मिट्टी की उर्वरा शक्ति बढाने या कीट व्याधि नियंत्रण के लिये किया जाता है परन्तु उर्वरक नियंत्रण आदेश एवं कीटनाशी नियमावली 1971 के अन्तर्गत नियंत्रित नहीं है, की बिक्री की अनुमति प्राप्त करने हेतु इच्छुक व्यक्ति/प्रतिष्ठान को निम्न कागजात एवं शुल्क के साथ विहित प्रपत्र में कृषि निदेशक, बिहार को आवेदन समर्पित करना होगा–

(1) प्रतिष्ठान जो अपने उत्पाद का राष्ट्रीय/अंतराष्ट्रीय जैविक प्रमाणीकरण एजेन्सी (अधिसूचित जैविक प्रमाणीकरण एजेंसी) से जैविक प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो एवं उसके उत्पाद पर जैविक प्रमाणिकरण एजेंसी का Logo हो। ऐसी स्थिति में बिक्री अनुमति प्राप्त करने हेतु कोई Field Trial की आवश्यकता नहीं है। उक्त उत्पाद को भी बिक्री अनुमति के बाद राज्य के विश्वविद्यालयों में Field Trial कराना होगा।

(2) प्रतिष्ठान जो अपने उत्पाद का जैविक प्रमाणीकरण एजेन्सी से जैविक प्रमाण पत्र नहीं उपलब्ध करायेगे उन्हेः–

(i) राज्य के सभी कृषि Zone में Field Trial के लिए अनुमति प्राप्त करेंगे।

(ii) उत्पाद का Field Trial राज्य के विश्वद्यालयों में किया जाय, जिसमें शष्य, मृदा, Plant Physiology, Pathology आदि के वैज्ञानिकों के द्वारा किया जाएगा। विश्वविद्यालय के रिसर्च कॉन्सिल द्वारा अनुशंसा की जायेगी जिसमें उद्धृत रहना आवश्यक होगा कि उक्त पदार्थ का मनुष्य/पशु तथा वातावरण पर कोई विपरित प्रभाव नहीं पड़ेगा।

(iii) विश्वविद्यालय पदार्थ में मौजूद Heavy metals तथा मृदा/फसल पर इसके प्रभाव का भी अध्ययन विशेष रूप से करेगी।

(iv) प्रथम दो साल विश्वविद्यालय प्रत्येक Climatic Zone में इसकी उपर्युक्तता की जाँच तथा तीसरे वर्ष में व्यापक रूप से किसानों के खेत में इसके प्रभाव की जाँच करने के उपरांत अनुशंसित करेगी।

(3) उत्पाद में मौजूद पदार्थ का प्रतिशत तथा उसके विश्लेषण विधि को समर्पित करेगें।

(4) उत्पादन प्रतिष्ठान अपने उत्पाद के पैकेटों के ऊपर पाये जाने वाला पदार्थ, प्रतिशत तथा प्रयोग की विधि लिखेंगे। पैकेट के उपर भ्रामक शब्दों का उपयोग कदापि न हो।

(5) उत्पादन प्रतिष्ठान अपने उत्पाद में प्रयुक्त पदार्थों का विश्लेषण विधि गुण नियंत्रण प्रयोगशाला मीठापुर, पटना या अन्य संबंधित संस्था को उपलब्ध करायेंगे।

(6) उत्पादन प्रतिष्ठान अपने उत्पाद के Raw material का स्त्रोत सूचित करेंगे।

(7) उत्पादन प्रतिष्ठान द्वारा अपने उत्पादन स्थल में प्रयोगशाला की स्थापना करेगी जिससे कि गुणवत्तापूर्ण उत्पाद का निर्माण सुनिश्चित हो।

(8) प्रतिष्ठान राज्य स्तर पर अपने उत्पाद का विपणन प्राधिकार पत्र/अनुज्ञप्ति प्राप्त कर अपने विक्रेताओं के माध्यम से बेचेगें।

(9) यदि प्रतिष्ठान अपने कार्बनिक उत्पाद को मिट्टी की उर्वरा शक्ति बढ़ाने के लिए दावा करती तो FCO, 1985 एवं यदि प्रतिष्ठान अपना कार्बनिक उत्पाद (Organic Product) कीट व्याधि नियंत्रण का दावा करती है तो Insectiside Rule 1971 के तहत् कार्रवाई करेगें/की जाएगी।

(10) किसी कार्बनिक उत्पाद में पूर्णतः स्पष्ट नहीं है कि यह भूमि उर्वरा शक्ति बढाने अथवा कीट व्याधि नियंत्रण के लिए प्रयोग होगा। ऐसी स्थिति में Insectiside Rule 1971 के तहत् कार्रवाई की जाएगी।

(11) मिट्टी की उर्वरा शक्ति बढ़ाने वाले उत्पाद के लिए 2250/–रु० का शुल्क "मुख्य शीर्ष 0401–कृषि कार्य लघु शीर्ष 800 अन्य प्राप्तियाँ एवं अन्य उपशीर्ष 0001–अन्य प्राप्तियाँ–विपत्र कोड–R-0401008000001" मद में एवं कीट व्याधि नियंत्रण वाले कार्बनिक उत्पाद के लिए प्रति कीटनाशी 500 रूपया एवं अधिकतम 7500 रूपया (प्रति अनुज्ञप्ति) का शुल्क मुख्य शीर्ष 0401 फ़सल कृषि कर्म उपमुख्य शीर्ष 00, लघु शीर्ष 107– वनस्पति रक्षन सेवाओ से प्राप्तियां उप शीर्ष 0001–पौधा संरक्षण योजना विपत्र कोड– R0401001070001 मद में ट्रेजरी चालान के माध्यम से बैंक में जमा कर उसकी प्रति।

(12) उपर्युक्त शर्तो के अनुपालन नहीं करने वाले उत्पाद की बिक्री करते है या बिक्री करते पाये जाते है तो Consumer Protection Act/ Criminal Procedure Code/FCO 1985/Insectiside rule 1971 के तहत कार्रवाई की जायेगी।

प्रस्ताव पर माननीय मंत्री, कृषि का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांक : 708 दिनांक : 5-6-2018

प्रतिलिपिः– अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को बिहार राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

5/6/18
सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांक : 708 दिनांक : 5-6-2018

प्रतिलिपिः– उप आयुक्त (आई॰एन॰एम॰ डिवीजन), कृषि एवं सहकारिता विभाग, कृषि मंत्रालय, भारत सरकार को सूचनार्थ प्रेषित।

5/6/18
सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांक : 708 दिनांक : 5-6-2018

प्रतिलिपिः– संयुक्त कृषि निदेशक उपादान/संयुक्त कृषि निदेशक, मुख्यालय/कृषि निदेशक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

5/6/18
सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांक : 708 दिनांक : 5-6-2018

प्रतिलिपिः– सभी संयुक्त निदेशक (शष्य)/सभी जिला कृषि पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

5/6/18
सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांक : 708 दिनांक : 5-6-2018

प्रतिलिपिः– सभी अनुमण्डल कृषि पदाधिकारी/सभी प्रखंड कृषि पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

5/6/18
सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांक : 708 दिनांक : 5-6-2018

प्रतिलिपिः– सभी उर्वरक उत्पादक/आयातक/आपूर्तिकर्त्ता प्रतिष्ठानों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

5/6/18
सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांक : 708 दिनांक : 5-6-2018

प्रतिलिपिः– मुख्य सचिव/सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी को सूचनार्थ प्रेषित।

Amit
सहायक

5/6/18
सरकार के अवर सचिव